"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2018 — चैत्र 27, शक 1940

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–11/2013/स्था./चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, जो 1 जनवरी 2015 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (च) का लोप किया जाये।

2. नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "20.परिवीक्षा :– सीधी भर्ती के माध्यम से या पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा/परीक्षण पर नियुक्त किया जायेगा।"

3. नियम 21 में,–

   (क) खण्ड (क) के उप–खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "टीप– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति,– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को सदस्य की अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी जिसमें राज्य वित्त सेवा संवर्ग का सदस्य कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किया गया हो और उस संवर्ग में नियुक्ति की वास्तविक तारीख से नहीं।"

   (ख) खण्ड (ख) के उप–खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "टीप– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति,– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को सदस्य की अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी जिसमें राज्य वित्त सेवा संवर्ग का सदस्य वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किया गया हो और उस संवर्ग में नियुक्ति की वास्तविक तारीख से नहीं।"

(ग) खण्ड (ग) के उप–खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"टीप– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति,– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को सदस्य की अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी जिसमें राज्य वित्त सेवा संवर्ग का सदस्य प्रवर वेतनमान में नियुक्त किया गया हो और उस संवर्ग में नियुक्ति की वास्तविक तारीख से नहीं।"

(घ) खण्ड (घ) के उप–खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"टीप– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति,– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को सदस्य की अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी जिसमें राज्य वित्त सेवा संवर्ग का सदस्य कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किया गया हो और उस संवर्ग में नियुक्ति की वास्तविक तारीख से नहीं।"

No. F 1-11/2013/Estt./IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted) Rules, 2013 with retrospective effect from 1st January, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. Sub-clause (f) of clause (I) of rule 8 shall be omitted.

2. For rule 20, the following shall be substituted, namely :-

"20. Probation.- Every person appointed in service, through direct recruitment or by promotion, shall be appointed on probation/scrutiny for a period of two years."

3. In rule 21,-

(a) After sub-clause (1) of clause (A), the following note shall be inserted, namely:-

"Note- Method of computation for eligibility for promotion.- The calculation of the period of qualifying service of a member on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the member of State Finance Service cadre has joined the junior scale of pay and not from the actual date of joining of the cadre."

(b) After sub-clause (1) of clause (B), the following note shall be inserted, namely :-

"Note- Method of computation eligibility for promotion. - The calculation of the period of qualifying service of a member on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the member of State Finance Service cadre has joined the senior scale of pay and not from the actual date of joining of the cadre."

(c) After sub-clause (1) of clause (c), the following note shall be inserted, namely:-

"Note- Method of computation for eligibility for promotion. - The calculation of the period of qualifying service of a member on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the member of State Finance Service cadre has joined the selection scale of pay and not from the actual date of joining of the cadre."

(d) After sub-clause (1) of clause (D), the following note shall be inserted, namely :-

"Note- Method of computation for eligibility for promotion. - The calculation of the period of qualifying service of a member on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the member of State Finance Service cadre has joined the junior scale of pay and not from the actual date of joining of the cadre."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.